बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 197067 पटना, दिनांक 20/08/14

ग्रा0 वि0- 7(विविध)- 15/2014

प्रेषक,

एस. एम. राजू,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक

सभी उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **मनरेगा अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक एवं पोस्ट आफिस के खातों के माध्यम से करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 130144 दिनांक 27.11.2012, पत्रांक 142041 दिनांक 13.03.2013, पत्रांक 151778 दिनांक 12.06.2013 एवं पत्रांक 17965 दिनांक 05.03.2014 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाय । विदित हो कि पोस्ट आफिस से भुगतान में हो रहे अत्यंत विलंब, पोस्ट आफिस का eFMS से संबंधित तैयारी में विलंब, अनियमितता की शिकायतों आदि के आलोक में यह निर्णय लिया गया था कि मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खातो के माध्यम से की जाय । यह भी निदेश दिया गया था कि जिन सक्रिय जाबकार्डधारियों का खाता पोस्ट आफिस में है उनका खाता बैंकों में खुलवाया जाय । इस क्रम में प्रगति अत्यंत धीमी रही है । कालक्रम में पोस्ट आफिस द्वारा भी eFMS लागू करने हेतु बडे पैमाने पर मनरेगा से जुडे खातों का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है तथा कतिपय जिलो में eFMS प्रणाली के द्वारा पोस्ट आफिस माध्यम से भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गयी है । स्पष्ट है कि संदर्भित पत्रें यथा विभागीय पत्रांक 130144 दिनांक 27.11.2012, पत्रांक 142041 दिनांक 13.03.2013, पत्रांक 151778 दिनांक 12.06.2013 प्रासंगिक नही रह जाते हैं ।

उपरोक्त क्रम में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा का भुगतान बैंक एवं पोस्ट आफिस दोनो के खातो से किया जायेगा । खाता बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोलने का निर्णय जाबकार्डधारी का होगा । eFMS को लागू करने हेतु पोस्ट आफिस के खातों को भी मिशन मोड में MIS पर freeze किया जाय । साथ ही सभी उप विकास आयुक्त अपने स्तर पर संबंधित डाक अधिक्षको से समन्वय बनाकर पोस्ट अफिस की तैयारी का अनुश्रवन करें ।

कृपया इसे दृढता से लागू किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस. एम. राजू)

सचिव 19/8/14